

न्यायालय— द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला—भिण्ड  
(समक्ष : पी0सी0आर्य)

विविध व्यवहार अपील क्रमांक: 2/2014  
संस्थापन दिनांक 24.04.2014

राधेश्याम, पुत्र—बृजलाल,  
आयु—59 वर्ष, निवासी वार्ड नं0-11,  
सदर बाजार, गोहद, जिला—भिण्ड म0प्र0      ---अपीलार्थी/प्रतिवादी

वि रु द्ध

1. सुरेशचन्द्र बंसल, पुत्र—बृजलाल,  
आयु—47 साल, निवासी मकान नं091,  
सुरेश नगर, थाटीपुर
2. अशोक कुमार बंसल, पुत्र—बृजलाल, आयु—53 साल,  
निवासी नर्मदा कालोनी, बरादरी चौराहा,  
मुरार, ग्वालियर .....प्रत्यर्थी/वादीगण

---

न्यायालय—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—दो, गोहद  
द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक— 91 ए/13 में पारित  
आदेश दिनांक 21.09.2013 से उत्पन्न विविध व्यवहार अपील।

---

अपीलार्थी द्वारा श्री एन0एम0 मुदगल अधिवक्ता उपस्थित।  
प्रत्यर्थीगण द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।

---

—::— आ दे श —::—

(आज दिनांक 26 जुलाई, 2014 को खुले न्यायालय में पारित)

1. अपीलार्थी/प्रतिवादी ने यह अपील श्री एस0के0 तिवारी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग दो, गोहद द्वारा अपने न्यायालय के व्यवहार वाद क्रमांक—91ए/13 में दिनांक 21.9.13 को पारित आदेश, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र आवेदन—पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 स्वीकार किया गया है, से असंतुष्ट होकर पेश की है।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई हैं और बृजलाल के पुत्र हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वाद ग्रस्त सर्वे नं० 344 रकवा 0.47, जिसका पुराना नंबर 192 रकवा 0.47 हेक्टर बॉके मौजा गोहदी तहसील गोहद में स्थित है। उक्त सर्वे नंबर का बंदोबस्त पश्चात् नया सर्वे नं० 528 रकवा 1.48 निर्मित हुआ। जो विवादित है। विवादित भूमि का पूर्व सर्वे नंबर और उसका रकवा भी स्वीकृत है तथा विवादित भूमि का पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 13.03.1985 को पक्षकारों की मां चन्द्रकलीबाई के नाम से होना और विक्रेता हरीराम, राधेश्याम पुत्रगण राधेश्याम होना भी स्वीकृत है।

3. विचारण न्यायालय में वादीगण/प्रतिवादीगण सुरेशचंद्र एवं अशोक कुमार द्वारा अपीलाधी/प्रत्यर्थी राधेश्याम के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया जाकर एक आवेदन-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण के पिता स्व० बृजलाल गोहद के निवासी थे जिनका देहान्त 09.10.2001 को हो गया था। वादीगण की माँ चन्द्रकली के नाम वादीगण के पिता ने एक खेत सर्वे नं० 344 रकवा 0.47 आरे जिसका पुराना नं० 192 रकवा 0.47 तथा बॉके मौजा गोहदी तहसील गोहद में स्थित है, हरीराम, राधेश्याम पुत्रगण तोताराम निवासी गोहद से क्रय किया था क्रय किया था। प्रतिवादी क्र०-01 ने झूठा शपथ पत्र देकर फर्जी बंटवारा करा कर जमीन को अपने नाम से करा लिया है और वादीगण को उसके अधिकारों से वंचित करना चाहता है। सुविधा का संतुलन वादीगण पक्ष में है। उपरोक्त आधार पर वादीगण ने स्वयं के पक्ष में विवादग्रस्त भूमि के संबंध में बिना बंटवारा कराये वादीगण के कब्जा एवं कास्त में कोई बाधा नहीं पैदा किए जाने और वादग्रस्त भूमि को कहीं भी रहन, वहन एवं अंतरण नहीं किए जाने का निवेदन किया।

4. प्रतिवादीगण द्वारा अपने आवेदन जवाब में आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए यह व्यक्त किया गया है वादीगण के पिता बृजलाल द्वारा प्रतिफल की राशि नहीं चुकाई और न ही उसने भूमि को क्रय किया। विवादित भूमि चन्द्रकली ने अपने पास एकत्रित धन से खरीदी है। विवादित भूमि बृजलाल की न होकर चन्द्रकली की व्यक्तिगत संपत्ति है। जिस पर वादीगण द्वारा कभी खेती नहीं की गई। प्रतिवादी को विवादित भूमि बंटवारे में चन्द्रकली द्वारा दी गई है। तहसीलदार द्वारा वंटवारे की कार्यवाही के समय

इस्तहार जारी किया था तब वादीगण ने कोई आपत्ति नहीं की। वादीगण का कब्जा चन्द्रकली के जीवनकाल में या उनके मरने के पश्चात कभी नहीं रहा। प्रतिवादी को अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा है और काश्त होती चली आ रही है। विवादित भूमि का विक्रय नहीं किया जा रहा है। इसलिए वादीगण को कोई अपूर्तनीय क्षति नहीं हो रही है। उपरोक्त आधार पर प्रतिवादी राधेश्याम ने वादीगण के आवेदन को सव्यय निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

5. यह अपील मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गई है कि प्रश्नाधीन आदेश विधि विधान के विपरीत है। प्रथम दृष्टया मामला प्रतिवादीगण के पक्ष में रहा है। मौके पर वादी का कोई कब्जा नहीं है। विवादित भूमि चन्द्रकली द्वारा स्त्रीधन से खरीदी गई है। जिसे चन्द्रकली को किसी को अंतरण करने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया गया है तथा विवादित संपत्ति पर वादी/प्रत्यर्थीगण का कब्जा मानने में त्रुटि की गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन आदेश अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. प्रत्यर्थी/वादीगण की ओर से प्रश्नाधीन आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता न होना व्यक्त किया गया है।

7. विचारणीय प्रश्न यह है कि —

1. “क्या आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने तथा प्रत्यर्थी/वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र निरस्त किए जाने योग्य है ?”

8. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया । विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया ।

9. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परिशीलन से यह विदित है कि हस्तगत प्रकरण में वाद सुरेशचन्द्र व अशोक कुमार की ओर से राधेश्याम के विरुद्ध मूलतः जिस विवादित भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया है, वह विवादित भूमि पक्षकारों की मां चन्द्रकली के नाम से पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक-13/3/1985 को हरीराम, राधेश्याम

पुत्रगण तोताराम से खरीदी गयी थी ।

10. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश मुताबिक प्रत्यर्थी/प्रतिवादी राधेश्याम के द्वारा अपनी मां चन्द्रकली से तहसीलदार गोहद के समक्ष सहमति के आधार पर बंटवारा प्रकरण क्रमांक-02/2003-04 अ-27 आदेश दिनांक-11/12/2003 से अपने नाम इन्द्राजित करा लिया और नामांतरण करा लिया । उस नामांतरण की कार्यवाही में चन्द्रकलीबाई के द्वारा धारा-178 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 के तहत आवेदनपत्र दिया गया था, जिसमें उसने राधेश्याम के अलावा अन्य कोई संतान ना होना प्रकट किया था और बंटवारे के प्रकरण में चंद्रकली एवं राधेश्याम ने भी अपने कथनों में ऐसा ही प्रकट किया, जबकि स्वीकृत तौर पर सरेशचन्द्र और अशोक कुमार, राधेश्याम के सगे भाई और उनकी मां चन्द्रकली बाई होने का विवाद नहीं है । चन्द्रकलीबाई को अशिक्षित गृहणी महिला बताया गया है, जो इससे भी दर्शित होता है कि वह अंगुष्ठ चिन्ह लगाती थी । क्योंकि उसके द्वारा तहसील में बंटवारा की जो कार्यवाही हुई उसमें भी अंगुष्ठ चिन्ह ही लगाया गया और किसी भी पक्षकार का ऐसा कहना नहीं है कि वह पढ़ी-लिखी थी, ऐसे में चन्द्रकलीबाई के अशिक्षित गृहणी होने की उपधारणा की जाती है ।

11. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश मुताबिक राधेश्याम के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की है कि वह विवादित भूमि को आदेश दिनांक के पश्चात विक्रय ना करें, ना कोई नवीन विक्रयपत्र निष्पादित करावें और मामले में वादीगण सुरेशचंद व अशोक कुमार ने उक्त भूमि में अपना एवं मृत भाई रामप्रकाश जिसकी पत्नी श्रीमती चित्रलेखा है और तीन बहिनें जिनमें प्रेमा, कुसुम जीवित हैं और लीलादेवी का निधन हो गया है, वे उसके वारिस हैं और उनका भी हित बताते हुए अपने भाग के संबंध में घोषणात्मक स्वरूप का वाद पेश किया है, जिससे प्रथम दृष्टया स्वीकृत तथ्यों को देखते हुए प्रचलित अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रथम दृष्टया प्रबल मामला बनना पाया जाता है ।

12. हालांकि चन्द्रकलीबाई और राधेश्याम के मध्य अन्य वारिस को छिपाते हुए सहमति के आधार पर किए गये बंटवारे के विरुद्ध की गयी अपील एस.डी.ओ. से निरस्त हो चुकी है, किन्तु स्वत्व निर्धारण का अधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर अनन्य रूप से सिविल न्यायालय को रहता है ।

इस दृष्टि से आलोच्य आदेश उचित व न्याय संगत है और मामले में उत्पन्न यक्ष प्रश्न कि क्या चन्द्रकलीबाई की स्वयं की कोई आय थी या वह केवल गृहणी थी और क्या चन्द्रकलीबाई द्वारा स्त्री धन से विवादित भूमि खरीदी गयी या ब्रजलाल ने अपनी पत्नी अर्थात् चन्द्रकलीबाई के नाम से क्रय की और प्रतिफल दिया । अर्थात् बेनामी का सम्यवहार किया यह गुणदोषों पर ही निराकृत हो चुका है और बेनामी सम्यवहार के संबंध में न्याय दृष्टांत **कृष्ण कुमार वि० नर्वदाप्रसाद साहू, 2007 भाग-1 एम.पी.एल.जे. पेज-5231** अवलोकनीय है, जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि बेनामी विक्रय का व्यवहार धारित करने के लिए कोई निश्चित फार्मूला या टेस्ट नहीं है, यह प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियों में संभावनाओं के आधार पर विनिश्चित करना होता है, जिसके लिए निम्नबिन्दुओं पर विचार किया जाना चाहिये कि :-

ए- क्रय हेतु राशि कहां से आयी ?

बी- क्रय के पश्चात् संपत्ति का स्वरूप एवं स्वामित्व क्या रहा ?

सी- लेन देने को बेनामी रूप देने का उद्देश्य क्या था ?

डी- पक्षकारों की स्थिति एवं दावेदारी और कथित बेनामी दारियों के बीच संपत्ति कैसी है ?

ई- विक्रय उपरांत विक्रय विलेख के अभिरक्षा की क्या स्थिति है ?

एफ- विक्रय पश्चात संपत्ति के लेन देन से संबंधित पक्षकारों का कैसा आचरण रहा है ?

13. यह भी जांच की विषय वस्तु है कि पक्षकारों के पिता ब्रजलाल के जीवनकाल में वे ही विवादित भूमि पर खेती करते आ रहे हैं और उनकी मृत्यु के बाद वादीगण और मां चन्द्रकलीबाई संयुक्त रूप से काबिज हुए या नहीं । इन बिन्दुओं के निराकरण के लिए प्रकरण में यथास्थिति आवश्यक है । ऐसे में अंतरण को निषेधित करने संबंधी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश को कतई अवैध, अनुचित या औचित्यहीन नहीं ठहराया जा सकता है ।

14. ऐसी स्थिति में अपीलार्थी राधेश्याम के द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील सारहीन मानते हुए आलोच्य आदेश की पुष्टि कर निरस्त की जाती है ।

15. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे । जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम जो जोड़ जावे ।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जावे ।

दिनांक-26/7/2014

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व  
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

**(पी०सी०आर्य)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

**(पी०सी०आर्य)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड